

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021-22

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी संस्थान)

महत्वपूर्ण निर्देश

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

पंजीयन (Registration) :-

1. कोविड-19 (कोरोना) महामारी के कारण शासन के निर्णय अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा जिनके फाइनल सेमिस्टर/वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थियों को त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले दो वर्षों अथवा चार सेमिस्टर; चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों अथवा छः सेमिस्टर; पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों अथवा आठ सेमिस्टर के परीक्षा परिणामों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित कर आवंटन जारी किया जावेगा; किन्तु उन्हें स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष के पूर्व के सभी सेमिस्टर/वर्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में केवल एक बार पंजीयन कराना आवश्यक होगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये अर्हकारी परीक्षा के रोल नंबर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम का सत्यापन एवं म.प्र. लोकसेवा अभिकरण (M.P. e-district) के आवेदन क्रमांक से श्रेणी (SC/ST/OBC)/मूलनिवासी प्रमाण-पत्रों का ऑनलाईन ई-सत्यापन (Online e-verification) किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई-वेरिफाइड हो जाती है तो उन्हें पंजीयन के समय "पंजीयन एवं ई-दस्तावेज" सत्यापन की पर्यी जारी की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड (Upload) करने की आवश्यकता नहीं है।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का ऑनलाईन ई-सत्यापन आंशिक रूप से हुआ है अथवा पूर्णतः नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन में दी गई जानकारीयों के आधार को ही सही माना जायेगा। उन्हें केवल पंजीयन की पर्यी जारी की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज पंजीयन के समय अपलोड (Upload) करना होगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु उनकी एक से अधिक अंक सूची हैं, तो वे संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांक/पूर्णांक के साथ परीक्षा परिणाम का भी स्पष्ट उल्लेख हो, को भी अपलोड (Upload) करें।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्नातक परीक्षा की अंक सूची में, प्रतिशत/अंक के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, तो उन्हें अपनी अंक सूची के साथ संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला का दस्तावेज अपलोड (Upload) करें। (अर्थात् अंक सूची एवं ग्रेड कन्वर्जन फार्मूले के दस्तावेजों को जेपीजी (jpg) फाईल बनाकर प्रथक-प्रथक अपलोड करना होगा।
7. काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।
8. पंजीयन के पूर्ण होते ही पंजीयन में दिये गये मोबाईल नम्बर पर अस्थायी पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे प्राथमिकताक्रम चयन (Choice Filling) के समय बदलकर सुरक्षित रखें।
9. काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स (Quick Links) में पंजीयन निरस्त (Registration Cancellation) करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
10. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) की सुविधा भी समय सारणी अनुसार उपलब्ध रहेगी, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।

सत्यापन (Verification) :-

11. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्यी प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को, उनके द्वारा अपलोड (Upload) किये गये दस्तावेजों से मिलान कर ऑनलाईन सत्यापन करने के उपरान्त ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम चयन के लिये पात्र या अपात्र (Eligible or Not Eligible) का निर्धारण किया जायेगा।
12. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में निर्धारित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं तो वह प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
13. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धारित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, एवं पात्रता में सुधार चाहते हैं तो वे, काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स(Quick Links) में उपलब्ध पंजीयन निरस्त (Registration Cancellation)

लिंक से, पंजीयन निरस्त करें, पूर्व में प्राप्त रोल नम्बर का उपयोग कर, आवश्यक सुधार करते हुए पुनः पंजीयन कर, ऑनलाईन सत्यापन के लिये आवेदन (**Submit**) कर सकते हैं, इसके पश्चात सत्यापित की गई पात्रता के आधार पर प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकते हैं।

14. ऑनलाईन सत्यापन होने के पश्चात, पात्रता या अपात्रता (**Eligible or Not Eligible**) की सूचना पंजीयन में दिये गये मोबाइल पर एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी।

प्राथमिकताक्रम का चयन (**Choice Filling**):-

15. पूर्णतः ई-सत्यापित अभ्यर्थी, पंजीयन उपरान्त प्राथमिकताक्रमों का चयन कर प्राथमिकताक्रमों को लॉक कर सकते हैं।
16. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में पात्र अभ्यर्थी ही संस्था का प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
17. अभ्यर्थी न्यूनतम 10 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकताक्रम ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकताएँ (**Choices**) भरने की सलाह दी जाती है।
18. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (**Choice Filling**) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (**Choice Filling**) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,530/- (काउंसलिंग शुल्क रुपये 400/-, आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,000/- एवं पोर्टल शुल्क रुपये 130/- सहित वापसी योग्य नहीं (**Non-Refundable**)) देय होगा, यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश ले लेता है, तो आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,000/- उक्त संस्था में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
19. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः करना होगी। समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का लॉक (**Choice Lock**) करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,130/- (रुपये 130/-पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (**Non-Refundable**)
20. अभ्यर्थी द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाईन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानान्तरित किया जायेगा। जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवाएँ। प्रवेश ना लेने की स्थिति में इसे जप्त कर लिया जायेगा।

आवंटन (**Allotment**):-

21. प्रथमतः स्नातक परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।
22. तदोपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले दो वर्षों अथवा चार सेमिस्टर; चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों अथवा छः सेमिस्टर; पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों अथवा आठ सेमिस्टर के परीक्षा परिणामों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित कर आवंटन जारी किया जावेगा।
23. जिन अभ्यर्थियों के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम उपलब्ध नहीं होने पर आवंटन जारी किया जावेगा, उनके प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक होंगे।

प्रवेश (**Admission**):-

24. अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित संस्था में निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित होकर करवाना होगा।
25. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारी एवं दस्तावेजों में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा। सही पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी, अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थियों को (**Not Eligible**) की पर्ची प्राप्त होगी जिसमें सत्यापित नहीं होने के कारण का उल्लेख भी रहेगा। पर्ची की जांच करलें कुछ त्रुटि पाये जाने पर सत्यापन करने वाले अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
26. पात्र अभ्यर्थियों (**Eligible candidate**) को आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है।
27. अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थी के पासवर्ड से लॉक होकर पूर्ण माना जायेगा, अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची जारी की जावेगी। अभ्यर्थी, पर्ची को सुक्षमता से जांच लें, त्रुटि पाये जाने पर संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
28. अपात्र अभ्यर्थी (**Not Eligible candidate**) रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर, दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
29. उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना है।
30. दस्तावेजों के सत्यापन के समय ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फॉर्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र लाना होगा।

31. अनुपस्थित/अपात्र (Not Eligible) अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा ऐसे रिक्त स्थान को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
32. प्रावधिक रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीयन (Enrolment) से पूर्व अर्हकारी परीक्षा के उत्तीर्ण परिणाम की अंक सूची प्रस्तुत कर एआईसीटीई द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पात्रता सुनिश्चित करवाना होगी अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) :-

33. अभ्यर्थी संस्था स्तर की काउंसलिंग में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
34. संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें पृथक से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय शुल्क रु 1430/- (काउंसलिंग शुल्क रु 400/-, आंशिक शिक्षण शुल्क रु 1000/- एवं पोर्टल शुल्क रु 30/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).
35. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन शुल्क रु 1030/- (आंशिक शिक्षण शुल्क रु 1000/- एवं पोर्टल शुल्क रु 30/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).
36. काउंसलिंग वेबसाइट पर संस्था/ब्रान्चवार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
37. संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों पर संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC) के लिये निर्धारित समय-सारणी में उपलब्ध प्रथम दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC) उपरान्त सीट रिक्त रहने पर समय-सारणी में दर्शित अगली दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC) आयोजित की जावेगी।
38. प्रवेशित अभ्यर्थियों की आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि प्रवेशित संस्था में स्थानांतरित कर दी जायेगी, जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें।
39. अभ्यर्थी द्वारा संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा। जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें। प्रवेश ना लेने की स्थिति में इसे जप्त कर लिया जायेगा।

प्रवेश निरस्तीकरण (Admission cancellation) :-

40. किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही, अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगी। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त करवा सकता है।
41. काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।

सामान्य निर्देश

1. पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
2. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
4. प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल (MP Mobile) एन्ड्रायड एप पर कहीं से भी संपादित कर सेव (Save) कर लें, तत्पश्चात् ही एमपीऑनलाइन के निकटस्थ कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर, ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
5. किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकॉपी न दें।
6. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियाँ

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो-प्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन (Registration) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन, सत्यापन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।

3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. *“किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने हैं यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल-दस्तावेज जमा किये जाते हैं तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।”*
5. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट www.afrcmp.org देखें।
संपर्क :- 0755-6720205, 2660441 ईमेल:-dte.helpcenter@mp.gov.in

SD/-

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश